



केन्द्रीय विद्यालय ज्योतिपुरम
KENDRIYA VIDYALAYA JYOTIPURAM
जिला रियासी(जम्मू व कश्मीर)/Distt – Reasi(J&K)-182312
दूरभाष/Telephone – 01991-255690(O), फैक्स /Fax – 01991-255691
वेबसाइट/Website – <https://jyotipuram.kvs.ac.in/>
ई-मेल/E-Mail – principalkvjyt@gmail.com



फ./1682/03/के.वि.ज्योतिपुरम/condemnation./2025-26/ 98

दिनांक :27.06.2025

नीलामी सूचना /AUCTION NOTICE

अनुपयोगी सामानों के लिए अध्यक्ष वीएमसी द्वारा दी गई प्रशासनिक स्वीकृति के अनुसार, एक सार्वजनिक नीलामी जो दिनांक 02.07.2025 को पूर्वाह्न 11:00 बजे विद्यालय परिसर में CONDEMNATION COMMITTEE की उपस्थिति में निर्धारित है। सभी इच्छुक व्यक्ति/फर्म इन वस्तुओं का निरीक्षण दिनांक 02.07.2025 को प्रातः 9:00 बजे से 10:30 बजे के बीच कर सकते हैं। निम्नलिखित विभाग/शीर्ष है जिनके तहत अनुपयोगी वस्तुओं की नीलामी की जानी है:

As per the administrative approval accorded by the Chairman VMC for the Condemnation of unserviceable articles, a public auction which is scheduled on 02.07.2025 at 11:00 AM in the presence of condemnation Committee in the Vidyalaya premises. All the interested persons/firms may inspect these items on 02.07.2025 between 9:00 am to 11:00 am. The following are the departments/heads under which unserviceable articles are to be auctioned:

S.NO	Name of Department	Book Value to written off out of VVN	Book Value to be written off out of School fund	Total
01	Furniture dept.	199271	0	199271

नियम एवं शर्तें/ TERMS & CONDITIONS

- आरक्षित मूल्य का खुलासा नीलामी के समय ही किया जाएगा।
- CONDEMNATION की गई सामग्री को “ जहाँ है जैसा है” आधार के रूप में उच्च बोली लगाने वाले को बेचा जाना है
- बोली लगाने वाले को नीलामी के समय घोषित किये जाने वाले नियमों का पालन करना होगा।
- एक फर्म/दुकान से केवल एक बोलीदाता को बोली प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति है।
- केवीएस कर्मचारियों और उनके रिश्तेदारों को नीलामी में भाग लेने की अनुमति नहीं है।
- सफल बोलीदाता को नीलामी राशि उसी दिन नकद या बैंक ड्राफ्ट द्वारा जमा करनी होगी।
- उच्चतम बोली लगाने वाले को 2 कार्य दिवस समय में सामग्री को अपने खर्च पर विद्यालय से हटाना होगा।
- यदि कोई विवाद दो पक्षों के बीच उत्पन्न होता है, तो नीलामी प्रक्रिया का निर्णय और प्राचार्य द्वारा लिया गया अंतिम निर्णय ही मान्य होगा। प्राचार्य का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा। विद्यालय प्रबंधन को नीलामी प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का परिवर्तन अथवा नीलामी रद्द करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।

प्रतिनिधि
27/06/2025

प्रतिलिपि:

- उपायुक्त महोदय, केन्द्रीय विद्यालय संगठन क्षेत्रीय कार्यालय जम्मू, सूचनार्थ।
- अध्यक्ष महोदय, विद्यालय प्रबंधन समिति, केन्द्रीय विद्यालय ज्योतिपुरम।
- समस्त केन्द्रीय विद्यालय, जम्मू क्षेत्र।
- विद्यालय की वेबसाइट पर।
- विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर।

केन्द्रीय विद्यालय ज्योतिपुरम
KENDRIYA VIDYALAYA JYOTIPURAM